प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.02.2025

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू व काँच की बोतल के टुकड़े बरामद।

दिनांक 18.02.2025 को थाना टीलामोड़ पर वादी आसिफ पुत्र स्व0 नसीम निवासी निकट हरि मस्जिद, कस्बा गुराना रोड बडौत जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त शमशाद पुत्र शमशेर निवासी ग्राम पसौंडा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद द्वारा मेरी बहन (अभियुक्त की पत्नी) को जान से मारने की नियत से पेट में चाकू व काँच की बोतल मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था। जिसकी जीटीबी अस्पताल दिल्ली में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी है के सम्बन्ध में थाना टीलामोड़ पर धारा 103(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल टीमे गठित कर दिनांक 19.02.2025 को उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त शमशाद पुत्र शमशेर निवासी ग्राम पसौन्डा थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष को करन गेट गोल चक्कर थाना टीलामोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शमशाद पुत्र शमशेर के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त शमशाद पुत्र शमशेर से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त शमशाद की पत्नी बिना बताये घर से काफी दिनो के लिये कही चली जाती थी अभियुक्त शमशाद द्वारा घर से बाहर जाने का कारण पूछने पर दोनो में झगड़ा हो जाता था। इसी बात को लेकर अभियुक्त शमशाद ने अपनी पत्नी को जान से मारने की नियत से पेट में सब्जी काटने वाले चाकू व काँच की बोतल मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था। जिसकी उपचार के दौरान जीटीबी अस्पताल दिल्ली में मृत्यु हो गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शमशाद पुत्र शमशेर निवासी ग्राम पसौन्डा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः

- गिरफ्तार अभियुक्त शमशाद पुत्र शमशेर उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीला मोड़ पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.02.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त शाहरूख द्वारा वादिया के साथ शादी का झांसा देकर बार-बार शारीरिक सम्बन्ध बनाना तथा वादिया की धोखे से बनायी गयी अश्लील वीडियो व फोटो को उसके ससुरालीजन को भेजकर व्हाटसएप के माध्यम से वायरल कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए तत्काल सुसंगत धारा-69 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 19.02.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शाहरूख पुत्र अब्बास निवासी मून लाईट स्कूल के सामने 30 फुटा रोड पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि करीब डेढ वर्ष पहले मेरी पीडिता से जान पहचान व हम दोनों की आपस में दोस्ती हो गयी थी। फिर मैं शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा। जब पीडिता मेरे से शादी करने के लिए बार-बार कहने लगी तो उससे पीछा छुडाने के लिए उसका मोबाइल नम्बर ब्लॉक कर बातचीत करना बंद कर दिया था। जब पीडिता की शादी कही और हो गयी तो मैंने गुस्से में पूर्व में बनायी गयी अश्लील वीडियो व फोटो पीडिता के ससुरालवालों को भेज कर व्हाटसएप के माध्यम से वायरल कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

शाहरूख पुत्र अब्बास निवासी मून लाईट स्कूल के सामने 30 फुटा रोड पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त एक तमन्चा 0.32 बोर व 03 खोखा कारतूस बरामद।

दिनांक 18.02.2025 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा ग्राम त्यौडी में दो पक्षों जिसमें प्रथम पक्ष के 1.फरमान पुत्र फैयाज उम्र करीब 28 वर्ष 2. परवेज पुत्र फैयाज उम्र करीब 32 वर्ष 3. वाहिद पुत्र फैयाज उम्र करीब 35 वर्ष व द्वितीय पक्ष के 1. साजिद पुत्र इकबाल उम्र 38 वर्ष 2. राशिद पुत्र इकबाल उम्र करीब 35 वर्ष व कुछ अन्य व्यक्ति समस्त निवासी गण ग्राम त्यौडी 13 बिस्वा के बीच मौहल्ला अंसारियान में मस्जिद के पास चौराहा पर पूर्व की मुकदमेबाजी को लेकर एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए मारपीट व जान से मारने की नियत से एक दूसरे पर फायरिंग व पथराव करने के सम्बन्ध में धारा 190/191(2)/191(3)/109/131/115(2)/125/352 बीएनएस के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 19.02.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त साजिद पुत्र इकबाल नि0 ग्राम त्यौडी 13 बिस्वा थाना भोजपुर कमि0 गाजियाबाद को थाना क्षेत्र भोजपुर से मय घटना में प्रयुक्त 01 तमन्चा 0.32 बोर मय 03 खोखा कारतूस के सहित गिरफ्तार किया गया, उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/27 ए एक्ट की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा अन्य अभि0गणो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

<u>पूछताछ का विवरण -</u>

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे परिवार की हमारे ही गांव के फरमान पुत्र फैयाज, परवेज पुत्र फैयाज , वाहिद पुत्र फैयाज से पुरानी मुकदमेबाजी चल रही है, इसी बात को लेकर कल दिनांक 18.02.25 को हमारे बीच विवाद हो गया और दोनो पक्षों में पथराव व फायरिंग हो गई इसमे मेरे द्वारा भी फायरिग की गई थी ।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

साजिद पुत्र इकबाल नि0 ग्राम त्यौडी 13 बिस्वा थाना भोजपुर कमि0 गाजियाबाद, उम्र 32 वर्ष ।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

थाना भोजपुर पर अभि0 के विरूद्ध हत्या के प्रयास/धमकी के संबंध में 01 अभियोग व मारपीट सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

घटना में प्रयुक्त 01 तमन्चा 0.32 बोर मय 03 खोखा कारतूस 0.32 बोर बरामद ।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से आला कत्ल रक्त रंजित एक लोहे की राड/सब्बल व एक फावडा जिस पर मिट्टी लगी हुई है व कुल 8000/- रूपये बरामद ।

दिनांक 18.02.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा एक तहरीर अभि0 अंकित पुत्र पप्पु नि0 राजीव गार्डन गली न0 4 संगम विहार थाना लोनी बॉर्डर व उसके अन्य अज्ञात साथियों द्वारा बिजनेश की रंजिश को लेकर वादिया के पति की हत्या कर देने तथा वादिया के पति के शव को अपने घर के नीचे के कमरे में गड्ढा खोदकर दबा देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 103(1)/238 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अंकित पुत्र पप्पू पांचाल निवासी गली नं0 04 राजीव गार्डन संगम विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष को चौकी क्षेत्र लालबाग से गिरफ्तार किया गया । इसके कब्जे से आला कत्ल रक्त रंजित एक लोहे की राड/सब्बल व एक फावडा जिस पर मिट्टी लगी हुई है व कुल 8000/- रूपये बरामद हुए तथा उपरोक्त अभियोग में धारा-3(5) बीएनएस की वृद्धि की गई । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त अंकित ने पूछताछ के दौरान बताया कि दीपक हमारे घर के पास में ही रहता हैं उससे मेरी दोस्ती थी, हम दोनों साथ - साथ मकान की छतो में पीवीसी फाल सिंलिंग बनाने का काम करते हैं, दीपक ने अपने पास करीब 05 से 06 लाख रूपया इकट्ठा कर लिया था। इस बात की मुझे जानकारी हो गयी थी तब मैंने अपने दोस्त के साथ दीपक के पैसे हडपने की योजना बनाई, दिनांक 17.02.2025 को दीपक मेरे घर पर आया था। उस समय मेरे पिताजी व भाई दोनों अपने काम पर गये थे। मैं अपने दोनों दोस्तों के साथ ऊपर वाले कमरे में बैठा था, दीपक ऊपर ही कमरें में आ गया था चूंकि हम तीनों को दीपक से पैसे हडपने थे। जैसे ही दीपक कमरें में आया तो मेरे दोनों दोस्तो ने उसे पीछे से पकड लिया और मैंने उसका मोबाईल ले लिया और उससे उसका पासवर्ड आदि पूछ लिया फिर मैंने कमरे में रखी लोहे की राड/सब्बल से दीपक के पीछे सिर पर वार कर दिया जिससे वह मरण अवस्था में फर्श पर गिर गया और बेहोश होकर गिर गया था फिर हम तीनो ने दीपक को उठाकर सीढियों से नीचे लाये और घर के नीचे बने कमरे के अन्दर ले गये। कमरे में हमारा एक बेड रखा हैं, हम तीनो ने बेड खडा किया और फिर कमरे में लगी टायल को घर में रखे फावडे से तोड दिये फिर मेरे दोनों दोस्त कमरे में गढ्ढा खोदने लगे औऱ मैं बाहर बाजार दुकान से कट्टे में नमक भरकर लेकर आय़ा तब तक मेरे दोनों दोस्तों ने गढ्ढा खोद दिया था फिर हम तीनो ने दीपक को गढ्ढे के अन्दर डाल दिया औऱ ऊपर से नमक डालकर मिट्टी भरकर दबा दिया। फिर बेड को उसी स्थान पर वापस रख दिया। और दीपक का फोन दोस्त लेकर चला गया औऱ उस फोन से हम लोगो ने दीपक के खाते से 40,000/- रूपया आनलाईन निकाले थे जिन्हें हम तीनो ने आपस में बराबर - बराबर बांट लिया था। जिसमें कुछ पैसे मैंने नशा पत्ते में खर्च कर लिये हैं। ये जो पैसे आपको मेरी जेब से मिले हैं, ये उन्हीं पेसों से बचे हुए पैसे हैं। आज में अपने दोस्त के पास आगरा जाने वाला था कि आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

अंकित पुत्र पप्पू पांचाल निवासी गली नं0 04 राजीव गार्डन संगम विहार थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त आला कत्ल रक्त रंजित एक लोहे की राड/सब्बल व एक फावडा जिस पर मिट्टी लगी हुई है व कुल 8000/- रूपये बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।